

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, शाहपुरा
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 11/2024 अपील सू.प्र.

उनवान

श्रीमती सुमन मीणा पत्नी बहादुर मीणा, बनाम
निवासी गुढा रोजड़ी तहसील जहाजपुर
जिला शाहपुरा।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी, जहाजपुर जिला शाहपुरा।

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी


अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 14.06.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर जिला शाहपुरा के विरुद्ध दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त हुई, जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रु का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या 62 एफ 477702 व 62 एफ 477703 के साथ एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को दिनांक 26.03.2024 को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।
2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2024 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2024/25 दिनांक 12.06.2024 से जवाबमय अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त हुई।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा उक्त जवाबमय अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना की एक प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित कर दी गई है।
4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील में अब अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
5. आदेश आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।




(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
शाहपुरा